कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2023/537
A/187/2023

केसाराम / मैनाराम U/S. 212 R.T.A. 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/02/25	पत्रावली पेश। वकील उप० / अधिवक्ता अप्रार्थी जवाब प्रा० पत्र पेश करने हेतु एक अवसर चाहते हैं। न्यायहित में 500/- cost राशि पर अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब प्रा० पत्र इंतजार हेतु पत्रावली आयन्दा दिनांक 06/03/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलान उप०। वकील अप्रार्थी द्वारा आज भी जवाब प्रा०पत्र पेश नहीं किया गया। पूर्व में अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। गत पेशी पर cost पर अंतिम अवसर दिया गया था परन्तु आज दिनांक तक जवाब प्रा०पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 3 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं 4 तहसीलदार जोधपुर प्रकरण में प्राफोर्मा पक्षकार होने से इनके जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र धारा 212 RTA, 1955 आयन्दा दिनांक 12/3/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
12/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक), जोधपुर

2023/537
A/187/2023

केसाराम / नैनाराम व अन्य U/S. 212 R.T.A. 1955

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन व विधिक प्रस्थिति अनुसार प्रकरण का बिंदुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार है।	
(1) प्रथम दृष्टया मामला: पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 212 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर हस्तगत प्रा. पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि "वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे अप्रार्थी सं. 1 से 3, उनके कब्जे काश्त से बेदखल करना चाहते है" अतः अप्रार्थी सं. 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पत्रावली पर अप्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण पर कोई खण्डन उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।	
सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति :-	
चूंकि प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा	

कार्यालय [illegible] एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2023/537
A/187/2023

केसाराम / मैनाराम व अन्य   U/S. 212 R.T.A. 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन का बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है अतः यदि एक खातेदार काश्तकार को अपने काश्तकारी अधिकारों से महरूम किया जायेगा तो निश्चित ही अपूरणीय क्षति प्रार्थी को ही होगी अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।
	अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसम्मत एवं उचित रहेगा।
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी क्र. 1 से 3 ग्राम डांगियावास मु. अखिलेश निवासी क्षेत्र डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर में स्थित

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक), जोधपुर

2023/537
A/10/2023

केसाराम / नैनाराम व अन्य U/S-212 R.T.A 1955

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादग्रस्त आराजी खसरा नं 212 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करने, बेचान हस्तांतरण न करने एवं किसी प्रकार का निर्माण न करने हेतु पाबंद किया जाता है (ताफैसला मूल वाद)। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
सत्यमेव जयते
जोधपुर